न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

न.- 82 / 2024

विद्या पत्नी दुलीचन्द जाति जाट निवासी अभयपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

— प्रार्थीनी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय दिनांक 01/05/24

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 142/84 तादादी 6.9800 हेक्ट, खसरा सं. 144/87 तादादी 1.7324 हेक्ट., खसरा सं. 148/119 तादादी 7.5617 हैक्टेयर कुल तादादी 16.2741 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीनी नाम विद्या पत्नी दुलाराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीनी का सही नाम विद्या पत्नी दुलीचंद हैं। प्रार्थीनी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीनी का सही नाम विद्या पत्नी दुलीचंद है, जो कि प्रार्थीनी का सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनी जमाबन्दी में अपना पति का नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 142/84 तादादी 6.9800 हेक्ट, खसरा सं. 144/87 तादादी 1.7324 हेक्ट., खसरा सं. 148/119 तादादी 7.5617 हैक्टेयर कुल तादादी 16.2741 हैक्ट. में प्रार्थीनी का नाम विद्यां पत्नी दुलीचंद किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार के अनुसार प्रार्थीनी अपने पति का सही नाम विद्या पत्नी दुलीचंद राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थीनी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीनी का नाम विद्या पत्नी दुलाराम की जगह विद्या पत्नी दुलीचंद करवाना चाहती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी नाम विद्या पत्नी दुलाराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थीनी का नाम विद्या पत्नी दुलाराम की जगह विद्या पत्नी दुलीचंद दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 142/84 तादादी 6.9800 हेक्ट, खसरा सं. 144/87 तादादी 1.7324 हेक्ट., खसरा सं. 148/119 तादादी 7.5617 हैक्टेयर कुल तादादी 16.2741 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि विद्या पत्नी दुलाराम के स्थान पर **विद्या पत्नी दुलीचंद** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस प्रकार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रवि कुमार आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)